

-विज्ञप्ति-

स्वरोजगार स्थापना हेतु जनपद के 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु के हाई स्कूल पास युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित की जानी है। अतः योजनान्तर्गत विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त करते हुये उसे समस्त आवश्यक प्रपत्रों सहित दो प्रतियों में अन्तिम तिथि दिनांक 21/05/2018 को सांय 05.00 बजे तक जमा कर सकते है। योजनान्तर्गत परियोजना की लागत का 25% अनुदान के रूप में देय होगा। तथा ऋणी को 5% से 10% तक स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

-६-

(पी0सी0 पाठक)
उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम
प्रोत्साहन केन्द्र, हमीरपुर

कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, हमीरपुर

पत्रांक-107/10 / जि0उ0के0(ह0)/मुं0 यु0स्व0यो0/2018-19 दिनांक-28/04/2018

- 1- उपरोक्त की 15 प्रतियां सहायक सूचना अधिकारी, हमीरपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति को जनहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, हमीरपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति को जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- 3- जिला सेवा योजन अधिकारी, हमीरपुर।
- 4- नोटिस बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।

(पी0सी0 पाठक)
उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम
प्रोत्साहन केन्द्र, हमीरपुर